जारी

संख्या– 946 / VII-A-2/2023–233(उद्योग)/2008

प्रेषक,

विनय शंकर पाण्डेय,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक उपकम/निगम के प्रशासनिक विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 31 दिसम्बर, 2023

विषयः–सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय/उपकमों के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों के लिए मंहगाई भत्ते का 01 जनवरी, 2023 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–126934/XXVII(7) E-22807/2022 दिनांक 02 जून, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी वेतन सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के कम में पुनरीक्षित की गयी है, को दिनांक 01.01.2023 से 38% के स्थान पर 42% की दर से मंहगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है। साथ ही सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन से निकाय/उपकम में कार्यरत कार्मिकों को भी उक्तानुसार मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के लिए उनकी वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्तानुसार दरों पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रकिया स्वयं निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त शासनादेश के कम में सातवें वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय/उपकमों के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों के लिए संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ सार्वजनिक निकाय/उपकम की वित्तीय स्थिति का आंकलन करते हुए नियमानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव।

संख्या- 946 (1)/ VII-A-2/2023–233(उद्योग)/2008, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड।
2. राज्य के समस्त सार्वजनिक उपकमों/निगमों के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
3. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अध्यक्ष, राज्य निगम कर्मचारी महासंघ, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
उप सचिव।